



दस्तावेज़ 2286709
2286710

गवर्नमेंट कॉन्सल्टेंट, १० अंतर्राष्ट्रीय मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

(१०५४)

पत्रांक : भै८५८८८/०५/७६/एक/२०१५-१६

दिनांक: ०७ अगस्त २०१५

सेवा में

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला नगरीय विकास अभियान

जनपद-मेरठ।

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा दूड़ा को प्रेषित की गयी धनराशि की सूचना का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को बीएसयूपी योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि आन्तरित की जा चुकी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
स्ट्रिलिंग बैंक	88502200003369	IFSC Code SYNB0008850	196.93

जनपद का नाम	अनुदान संख्या	आवास संख्या	प्रश्नगत परियोजनाओं में शासन से प्राप्त धनराशि के सर्पेल वर्किंग कार्स्ट/लेबर सेस/अग्रिम का समायोजनोपरान्त धनराशि का प्रेषण				
			वर्किंग कार्स्ट	लेबर सेस	कुल	अग्रिम का समायोजन	प्रेषित की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	9
मेरठ/किंवदार्ड नगर	अनु० ३७ पीएसए	225	190.07	6.860	196.93	0.00	196.93
योग			190.07	6.860	196.93	0.00	196.93

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय बीएसयूपी योजनान्तर्गत सम्बन्धित मूल्यवृद्धि की ढीपीआर के साथ पठित पीएफएडी तथा भारत सरकार के द्वारा जारी स्वीकृतियों में वर्णित मदों पर ही किया जाये जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। परियोजना की ढीपीआर में स्वीकृत दरों एवं कार्य की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये ही कार्यदायी संस्था को तदनुसार धनराशि दी जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई है, स्थल पर उसके साथेका भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए। उपरोक्त मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में व्यय करना और दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना वित्तीय अनियन्त्रिता की श्रेणी में आयेगा। किसी भी दशा में कोई व्यवहरन अनुमन्य न होगा। आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा परियोजना को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि मार्च 2015 निर्धारित थी जो व्यतीत हो चुकी है। भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कोई भी मूल्यवृद्धि यदि होती है तो उसका उत्तरदायित जनपद का होगा। प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व हूडा द्वारा एमाझोड़ू कार्यदायी संस्था से करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा:-

- समस्त कार्य मूल्यवृद्धि की ढीपीआर के आधार पर प्राथमिकता पर पूर्ण कराने होंगे।
- दिसम्बर 2015 तक प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
- इस मूल्यवृद्धि के बाद पुनः किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- उपलब्ध स्वीकृत धनराशि से समस्त निर्माण कार्य पूर्ण कराने होंगे।
- निर्माणाधीन आवास निर्माण पर लाभार्थी अंशदान संशोधित दरों पर हूडा द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा लाभार्थी अंशदान न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उतनी लागत का कार्य कायदायी संस्था द्वारा छोड़ दिया जायेगा जैसाकि पूर्व में निर्देश निर्गत किये गये हैं।



(244) 2

ट्रॉक्स- 2286700
2286710

नव चौहानी कोटा, 10 वरांडा चार्गे, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 6- कार्य पूर्ण होने के उपरान्त केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार परियोजना की वलोजर रिपोर्ट अभिकरण मुख्यालय को हृदा के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।
7- सुनित की गई परिसम्पत्तियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित नगर निकाय (यूएल०वी०) को करना होगा और उक्त का प्रगति पर सुडा दो उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

मर्दी,

(जालि प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

W

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतांलय निम्नालिखित दो सूचनाएँ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. परि० प्रबन्धक, उ०प्र० सी०ए०ड डी०ए०स० सूडा इकाई-मेरठ।
3. परियोजना अधिकारी-सूडा
4. कम्यूटर रोल/लेखा विभाग-सूडा।

(लालि प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

W